न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

6(ए) वाद संख्या–183/2017

बिहार सरकार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा –बनाम– शत्रुघ्न साह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

9/3/2018

<u>आदेश</u>

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

प्रस्तुत अपीलवाद अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा के पत्रांक 1170 दिनांक 12.08.2017 में शत्रुघ्न साह जन वितरण प्रणाली विक्रेता खरूआ पंचायत के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 07 के अन्तर्गत सदर थाना कांड संख्या 297/2017 दिनांक 19.07.2017 में जब्त खाद्यान्न 10 (दस) क्विंटल गेहूँ एवं 9.50 क्विंटल चावल के अधिहरण हेतु अनुशंसा की गयी है। सामान्य अनुक्रम में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 20.09.2017 से अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा को जब्त खाद्यान्न को सरकारी दर पर बिक्री पश्चात प्राप्त राशि अनुमंडल नजारत में जमा करने एवं विपक्षी को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत किया गय। विपक्षी (वाहन स्वामी) द्वारा अपने अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर कारण पृच्छा दाखिल किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर के पत्रांक 120 दिनांक 23.02.2018 से यह प्रतिवेदन प्राप्त है कि जब्त खाद्यान्न को जिम्मेनामा पर दिया गया है, जो अभिलेख पर संधारित है।

विपक्षी (वाहन स्वामी) के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि शीतल यादव, पिता कन्हायी यादव, ग्राम–खुटवारा, थाना–सदर, जिला–दरभंगा है। आवेदक उक्त जब्त ट्रैक्टर का स्वामी है, जिसका सभी संबंधित कागजात एवं स्वामित्व प्रमाण पत्र आवेदक के पास है। उक्त ट्रैक्टर को सदर पुलिस द्वारा जन वितरण प्रणाली के खाद्यान्न रखा गया है। यह कहते हुए जब्त कर लिया गया। यह कि उक्त प्राथमिकी के विरूद्ध आवेदक द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश से अग्रिम जमानत ले ली गयी है। जब्त ट्रैक्टर मुक्त करने हेतु किसी अन्य न्यायालय में वाद दायर नहीं किया गया है। विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कथन है कि वाहन स्वामी बंधपत्र देने हेतु तैयार हैं। विज्ञ अधिवक्ता जब्त वाहन को मुक्त करने हेतु अनुरोध करते हैं।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कथन है कि बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का बरामद होना कालाबाजारी से संबंधित है। जब्त खाद्यान्न को राज्यसात् होना चाहिये एवं जब्त खाद्यान्न का सरकारी दर से वाहन स्वामी से नाजिर रसीद पर राशि प्राप्त कर जब्त वाहन को मुक्त किया जा सकता है।

अभिलेख पर संधारित तथ्यों के अवलोकन से ज्ञात होता है

कि जब्त खाद्यान्न जन वितरण प्रणाली का है जिसे कालाबाजारी के नीयत से परिवहन किया जा रहा था, यह कृत्य पी0डी0एस0 खाद्यान्न के कालाबाजारी का द्योतक है।

अतएव सदर थाना कांड संख्या 297/17 दिनांक 19.07.2017 में जब्त 10 (दस) क्विंटल गेहूँ एवं 9.50 क्विंटल चावल को राज्यसात् किया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा को आदेश दिया जाता है कि खाद्यान्न के बिक्री के पश्चात् प्राप्त राशि विहित सरकारी कोष में कोषागार, दरभंगा के माध्यम से जमा कराना सुनिश्चित करेंगे एवं वाहन स्वामी से जब्त खाद्यान्न के सरकारी दर पर नाजिर रसीद पर राशि प्राप्त कर जब्त वाहन को मुक्त करें।

उपरोक्त विवेचना के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति अनुपालनार्थ अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा